रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1774] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2013/श्रावण 9, 1935
No. 1774] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2013/SRAVANA 9, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2013

का.आ. 2326(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1667 (अ), तारीख 24 जुलाई, 2012 द्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 42 के 0.000 कि.मी. से 265.000 कि.मी. (कटक-सम्बलपुर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है:

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, 30.08.2011 को प्रस्तुत की गई बोली हेतु, मैसर्स अभिजीत अंगुल सम्बलपुर टोल रोड लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय ईएन 1, इनसिगनिया टॉवर, तीसरा तल, सेक्टर-V, साल्ट लेक, कोलकाता-700091 में है (जिसे इसमें इसके बाद "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-42 पर 112.00 कि.मी से 265.000 कि.मी. तक (अंगुल-सम्बलपुर सेक्शन) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" कहा गया है) का चार लेन में

विकास करने तथा उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए 13.03.2012 को करार किया है (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित तारीख सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010 और सा.का.नि. 15 (अ) तारीख 12, जनवरी, 2011 द्वारा संशोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूँजी पर ब्याज़, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 146.958 कि.मी हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए, सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) और एक बाइपास जिनकी कुल लम्बाई 3.900 कि.मी. है, के उपयोग हेतु नीचे सारणी 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर, आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से तथा प्राधिकरण से समापन-प्रमाणपत्र अथवा अंतिम समापन-प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने पर या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन से, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक, जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है:

सारणी

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
अंगुल जिले में हरिराजपुर गांव के पास रारा-42 का कि.मी./चैनेज 182.00	80.000
सम्बलपुर जिले में हतिबाड़ी गांव के पास रारा-42 का कि.मी./चैनेज 244.500	66.958

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की लम्बाई के लिए, आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास की लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है
सम्बलपुर जिले में हतिबाड़ी गांव के पास रारा-42 का कि.मी./चैनेज 244.500	3.900 कि.मी लम्बाई का सम्बलपुर बाइपास जिसकी लागत 22.65 करोड़ रूपये है (रा.रा-42 के 258.958 कि.मी से शुरू होकर 262.858 कि.मी पर मिलते हुए)

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन जो गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्त्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. सारणी 1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी.शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना की लम्बाई के पूरे कर लिए भाग के आधार पर, प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचारपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा और उसे प्रकाशित किया जाएगा परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किये गये संशोधन की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।

[फा. सं. भारराप्रा/13013/707/सीओ/10-11/जीसी-क्योंझर (112.0-265.0)बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2013

S.O. 2326(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1667 (E), dated the 24th July, 2012, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 265.000 (Cuttack - Sambalpur section) of National Highway No. 42 in the State of Odisha to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on 13.03.2012 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Abhijeet Angul Sambalpur Toll Road Limited, having its registered office at EN 1, Insignia Tower, 3rd Floor, Sector V, Salt Lake, Kolkata - 700091, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for bid submitted on 30.08.2011 for the development of Angul - Sambalpur section from Km 112.000 to Km 265.000 on National Highway No. 42 (hereinafter referred to as the "said section") to four lane and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838 (E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950 (E) dated 3rd December, 2010 and G.S.R 15)E) dated 12th January, 2011 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the Agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of 146.958 Km for use of *the four lane sections* ((hereinafter referred to as "base rate") and at one and half times the base rate for bypass having length 3.900 Km on the Type of Vehicles specified in Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) declared by the Authority and on getting the Completion Certificate or the provisional Completion Certificate, as the case may be, from the authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the *base year 2007-08* (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three - axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Note:

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. 182.000 of NH 42, Near Harirajpur Village in Aungul district.	80.000
Km/Ch. 244.500 of NH 42, Near Hatibari Village in Sambalpur district.	66.958

2. In additional to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following toll plaza at one and half times of the base rate for the length of bypass specified for such toll plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length of bypass (in km) for which additional fee is payable
Km/Ch. 244.500 of NH 42, Near Hatibari Village in Sambalpur district.	Sambalpur Bypass of 3.900 Km length and costing Rs.22.65 crore (taking off at Km 258.958 and joining at Km 262.858 of NH-42)

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the authority on the basis of the completed portion of the length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually and published in accordance with the Rule 5 of the said rules and provision of the Concession Agreement provided that no revision shall be effected within a period of Six months from the date of the preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/13013/707/CO/10-11/GC-Keonjhar (112.0-265.0) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.